बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 03/04–भू०अ०नि०(प्रमाण पत्र सत्यापन)–05/2024.1032 पटना, दिनांक:–28/02/2024

आदेश

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम अन्तर्गत नवसृजित संविदा पद पर विज्ञापन संख्या –01/2019 के आलोक में श्री राकेश राज सिन्हा, पिता–श्री शम्भु प्रसाद सिंहा, ग्राम–लावापुर नारायण, पोस्ट+थाना–महनार, जिला–वैशाली को विशेष सर्वेक्षण अमीन के संविदा पद पर नियोजित करते हुए निदेशालय पत्रांक 10181 दिनांक 06.07.2020 के द्वारा बंदोबस्त कार्यालय, शेखपुरा में पदस्थापित किया गया है।

नियोजित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के प्रमाण पत्र का सत्यापन संबंधित विश्वविद्यालयों/संस्थानों से कराया जा रहा है। श्री सिन्हा द्वारा नियोजन के समय प्रस्तुत डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग प्रमाण पत्र का सत्यापन संबंधित संस्थान यथा State Council for Technical Education of Vocational Training, Odisha से कराया गया है। उक्त संस्थान से श्रीमती सुजाता महराना द्वारा अपने ई–मेल आई०डी० – sujatha.maharana@gmail.com के माध्यम से दिनांक 24.01.2024 को 11 अभ्यर्थियों के डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग प्रमाण पत्र का सत्यापन प्रतिवेदन भेजा गया है। भेजे गये सत्यापन प्रतिवेदन में श्री सिन्हा के प्रमाण पत्र के संबंध में "Record Not Found" अंकित किया गया है।

उक्त संस्थान से प्राप्त प्रमाण पत्र के सत्यापन प्रतिवेदन के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 648 दिनांक 05.02.2024 द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त करने के फलस्वरूप श्री सिन्हा से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। इनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। इनके द्वारा स्पष्टीकरण में अंकित किया गया है कि इनका प्रमाण पत्र बिल्कुल सही है एवं कहीं न कहीं गड़बड़ी के कारण रिर्पोट गलत आया है। साथ ही पुनः सत्यापन कराने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त संस्थान से प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं श्री सिन्हा से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी है। स्पष्टीकरण में इनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि इनका प्रमाण पत्र बिल्कुल सही है एवं गड़बड़ी के कारण रिपोर्ट गलत आया है, परन्तु इनके द्वारा इस संबंध में कोई ऐसा साक्ष्य यथा नामांकन से संबंधित अभिलेख तथा फीस के रूप में जमा की गयी राशि से संबंधित बैंक स्टेटमेन्ट की प्रति नहीं दी गयी है, जिससे यह प्रमाणित हो कि इनके द्वारा उक्त संस्थान से शिक्षा प्राप्त किया गया है। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा स्पष्टीकरण में दिए गए तर्को को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि ये फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त करने में सफल हो गये हैं।

अतः फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त करने के फलस्वरूप इनके द्वारा नियोजन हेतु समर्पित "Term of Assignment" की कंडिका–4(vi) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री राकेश राज सिन्हा, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN00390) का संविदा नियोजन समाप्त किया जाता है।

28/2/24
(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक :– 03/04–भू0अ0नि0(प्रमाण पत्र सत्यापन)–05/2024/1022 **पटना, दिनांक** :–28/02/2024

प्रतिलिपि :– श्री राकेश राज सिन्हा, पिता–श्री शम्भु प्रसाद सिंहा, ग्राम– लावापुर नारायण, पोस्ट+थाना–महनार, जिला–वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/04–भू0अ0नि0(प्रमाण पत्र सत्यापन)–05/2024/1022 **पटना, दिनांक** :–28/02/2024

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि श्री सिन्हा से तुरन्त सारे अभिलेख/दस्तावेज प्राप्त कर लिया जाय एवं इनके द्वारा नियोजित रहते हुए प्राप्त की गयी मानदेय की राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त करने एवं अन्य संगत धाराओं के तहत इनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करना सुनिश्चित करें।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/04–भू0अ0नि0(प्रमाण पत्र सत्यापन)–05/2024/1022 **पटना, दिनांक** :–28/02/2024

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं निदेशालय अन्तर्गत R2R Software में संधारित श्री सिन्हा की व्यक्तिगत संचिका में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
28/02/24